

भूमि नीति के नाम पर

प्लैट/प्लॉट की बुकिंग करने वाली फर्जी
संस्थाओं/कंपनियों/डेवलपर्स के शिकार न बनें

सावधान रहें!!!

कुछ सोसाइटी/कम्पनी/डेवलपर (प्रमोटर)
डीडीए की भूमि नीति के नाम पर आकर्षक
आवास योजनाओं के बारे में भ्रामक
विज्ञापन दे रहे हैं और भूखंड/प्लैटों की
बुकिंग के लिए पंजीकरण राशि वसूल रहे हैं।



रियल एस्टेट रेगुलेटरी एथॉरिटी
अधिनियम-2016 के तहत परियोजना के
अनुमोदन लाइसेंस के बिना किसी भी
परियोजना में भूखंड/प्लैट के लिए प्रकाशित
किए गए विज्ञापन गैर कानूनी हैं।



ऐसे प्रस्तावों का शिकार होने पर व्यक्ति प्रमोटर
के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा, पुलिस
स्टेशन कॉम्प्लेक्स, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली में
शिकायत दर्ज करा सकता है। (आर्थिक अपराध
शाखा, दिल्ली पुलिस को ईमेल लिखें
dcp-eow-dl@nic.in)



अभी तक डीडीए ने भूमि नीति
के तहत किसी आवासीय
परियोजना को किसी तरह
का कोई अनुमोदन/लाइसेंस
जारी नहीं किया है।

RERA

निवेश करने से पहले, रेरा (RERA)
की आधिकारिक वेबसाइट पर
अनुमोदित परियोजनाओं की
स्थिति जांच लें।



निवेश करने से पहले डीडीए द्वारा
प्रमोटर को जारी किया हुआ
लेआउट प्लान का अनुमोदन,
अंतिम और अंतिम विकास
लाइसेंस का विवरण जांच लें,
यदि कोई हो।

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.gov.in पर जाएं और
ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाओं में प्रारंभिक आईकॉन पर क्लिक करें
या टोल फ्री नं. 1800-110332 डायल करें

[f @ddaofficial](https://online.dda.org.in/landpooling/AppForm/Default.aspx) [t @official_dda](https://online.dda.org.in/landpooling/AppForm/Default.aspx)
पर हमें फॉलो करें
अधिक जानकारी हेतु कृपया
[https://online.dda.org.in/landpooling/
AppForm/Default.aspx](https://online.dda.org.in/landpooling/AppForm/Default.aspx)
देखें



डीडीए के लैंड पूलिंग के वेब पोर्टल
के लिए लिंक को स्कैन करें